राजस्थान सरकार

न्यायालय नायब तहसीलदार रुपनगढ जिला–अजमेर

राजस्व मुकदमा नं. 17 / 2022

किस्म मुकदमा अंतर्गत धारा 91

उनवान

राज.भू राजस्व अधि. 1956

सरकार जरिये प०ह० करकेड़ी बनाम श्री चतुर्भुज पुत्र श्री हरिप्रसाद

जाति माली नि. करकेड़ी

निर्णय दिनांकः– 29.06.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण संक्षिप्त मे इस प्रकार से है कि ग्राम करकेड़ी के आराजी खसरा नंबर 661 किस्म गै.मु.रास्ता रकबा 0.1055 है. भूमि पर पड़त पक्की दीवार बनाकर गैर सायल ने कब्जा कर लिया गया है। जिसकी रिपोर्ट पटवारी हल्का से प्राप्त होने पर मामला अंतर्गत धारा 91 राज.भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस से तलब किया गया। गैर सायल उपस्थित हुआ। उसके उपरांत पर्याप्त अवसर दिए जाने के बाद अनुपस्थित रहते हुए कोई जवाब पेश नहीं किया। अतः गैर सायल को अतिक्रमी घोषित कर प्रकरण निर्णीत किया जाता है।

अतः आदेश दिये जाते है कि अप्रार्थी को ग्राम करकेड़ी के आराजी खसरा नंबर नंबर 661 किस्म गै.मु. रास्ता रकबा 0.1055 है. से बेदखल किया जाता है तथा लगान 0.70 का 50 गुणा 35 / –रुपये जुर्माना किया जाता है तथा अप्रार्थी को विवादग्रस्त आराजी से भौतिक रुप से बेदखल करने के आदेश दिये जाते है।

पटवारी / टी.आर.ए.मांग कायमी कर वसूली करे तथा विवादित भूमि पर से गैर सायल को भौतिक रुप से बेदखल कर कब्जा लेकर रिपोर्ट पेश कर।

आदेश मेरे द्वारा कम्प्यूटर में टंकित करवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। मुकदमा बाद नम्बर से कम होकर पत्रावली पूर्ति संग्रह भण्डार हो।

नायब तहसीलदार
रुपनगढ(अजमेर)

वर्ष 2022-23 रा.ले.सं.4 के पृष्ठ संख्या 26 पर रु. 35/- की मांग कायमी की गई। 4/7/22
तहसील राजस्व लेखाकार

Scanned by CamScanner